न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा
जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :— सोहनलाल, प्रशिक्षु आई.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्याः— 09 / 2022

प्रार्थी	**बनाम**	**अप्रार्थी**
सोहनलाल पुत्र श्री ढगलाराम जाति पटेल (धमाणिया) निवासी बिलाड़ा, तहसील बिलाडा जिला जोधपुर राज.		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा जिला जोधपुर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136
राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

— — — — —

उपस्थिति :— प्रार्थी की ओर से श्री मदनलाल चौधरी अधिवक्ता
अप्रार्थी सरकारी पैरोकार

:: आदेश :: **दिनांक : 16.03.2022**

संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम बिलाड़ा चक नम्बर 4 तहसील बिलाड़ा की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा संख्या 2585 रकबा 1.1731 हैक्टेयर किस्म चाही द्वितीय आई हुई है। जिसके खाता संख्या 1039 है। उपरोक्त खसरें की भूमि पूर्व में राजस्व ग्राम बिलाड़ा चक नम्बर 3 तहसील बिलाड़ा की सीमा में स्थित थी। उक्त खसरे की भूमि के खातेदार मलाराम पुत्र श्री बींजाराम द्वारा जरिये रजिस्टर्ड बैचाननामा दिनांक 27.01.1994 को उपरोक्त खसरे की भूमि में से रकबा 2 बिस्वा 10 बिस्वांशी भूमि प्रार्थी को बैचान की तथा उक्त रजिस्टर्ड बैचाननामा के आधार पर म्यूटेशन संख्या 4973 तत्कालीन तहसीलदार बिलाड़ा द्वारा स्वीकृत किया तथा म्यूटेशन संख्या 4973 के आधार पर प्रार्थी की खरीदसुदा भूमि की खातेदारी जमाबन्दी संवत् 2052 से 2055 में प्रार्थी के नाम से दर्ज की गई। वजह सबूत जमाबन्दी संवत् 2052 से 2055 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। इसके बाद की जमाबन्दी संवत् 2068 से 2071 की खतौनी के समय हल्का पटवारी बिलाड़ा चक नम्बर 4 द्वारा लिपिकीय गलती से प्रार्थी की खरीदसुदा उपरोक्त भूमि का इन्द्राज उक्त जमाबन्दी में नही किया गया तथा उक्त जमाबन्दी के बाद की जमाबन्दी यानि वर्तमान जमाबन्दी संवत् 2076 से 2079 में भी खतौनी के समय हल्का पटवारी बिलाड़ा चक नम्बर 4 द्वारा लिपिकीय गलती से प्रार्थी की खरीदसुदा उपरोक्त भूमि

Sohan
सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

का इन्द्राज उक्त जमाबन्दी में नही किया गया। इस प्रकार उपरोक्त दोनो जमाबन्दियों में प्रार्थी की खरीदसुदा उपरोक्त भूमि का इन्द्राज हल्का पटवारी बिलाड़ा चक नम्बर 4 द्वारा लिपिकीय गलती से नही किया गया। प्रार्थी अपनी खरीदसुदा उपरोक्त भूमि के सम्बंध में हल्का पटवारी बिलाड़ा चक नम्बर 4 द्वारा की गई लिपिकीय गलती को जमाबन्दी संवत् 2052 से 2055 के अनुसार शुद्ध करवाने का अधिकारी है। इसलिए प्रार्थी की खरीदसुदा उपरोक्त भूमि का इन्द्राज जमाबन्दी संवत् 2052 से 2055 के अनुसार शुद्ध किया जाना आवश्यक है। प्रार्थी की खरीदसुदा भूमि का इन्द्राज जमाबन्दी संवत् 2052 से 2055 के अनुसार शुद्ध किये जाने पर उक्त भूमि के दर्ज खातेदार मलाराम की भूमि पर किसी भी प्रकार का प्रतिकुल प्रभाव नही पड़ेगा न ही दर्ज खातेदार मलाराम के हक व अधिकार प्रभावित होंगे तथा राजस्व अपील अधिकारी जोधपुर द्वारा अपील संख्या 133/2019 बअनवान श्रीमति सीतादेवी बनाम मलाराम वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 12.04.2021 पर भी किसी प्रकार का कोई प्रतिकुल प्रभाव नही पड़ेगा व न ही उक्त निर्णय की क़िसी भी प्रकार की अवमानना होगी। अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय द्वारा उक्त खसरे की भूमि के अपीलार्थी श्रीमति सीतादेवी के संभावित 1/7 हिस्से को सुरक्षित रखने अर्थात् उसका बैचान हस्तान्तरण नही करने हेतु रेस्पोडेण्ट संख्या 1 मलाराम को पाबन्द किया। जबकि उक्त खसरे का कुल रकबा 7 बीघा 5 बिस्वा है तथा 1/7 वें हिस्से के अनुसार प्रभावित रकबा 1 बीघा 14 बिस्वांशी है तथा उक्त खसरे का शेष रकबा उक्त निर्णय से प्रभावित नही है। प्रार्थी का उक्त खसरे की भूमि में से खरीदसुदा रकबा 2 बिस्वा 10 बिस्वांशी है। जो शेष रकबा से भी कम है। इसलिए प्रार्थी का खरीदसुदा हिस्सा अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय से प्रभावित नही है। हल्का पटवारी बिलाड़ा चक नम्बर 4 द्वारा लिपिकीय गलती से प्रार्थी की खरीदसुदा भूमि का इन्द्राज जमाबन्दी संवत् 2068 से 2071 व जमाबन्दी संवत् 2076 से 2079 में नही करने से प्रार्थी अपनी उक्त खरीदसुदा भूमि के सम्बंध में राज्य सरकार द्वारा मिलने वाली सुविधाओं को भी प्राप्त करने से वंचित हो रहा है। इसलिए उक्त लिपिकीय गलती को शुद्ध किया जाना आवश्यक है।

अन्त में निवेदन किया कि राजस्व ग्राम बिलाड़ा चक नम्बर 4, तहसील बिलाड़ा में स्थित भूमि खसरा संख्या 2585 रकबा 1.1731 हैक्टेयर में से प्रार्थी की खरीदसुदा भूमि रकबा 2 बिस्वा 10 बिस्वांशी का

...क कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

इन्द्राज जमाबन्दी संवत् 2052 से 2055 के अनुसार वर्तमान जमाबन्दी संवत् 2076 से 2079 में शुद्ध किये जाने का आदेश फरमावे तथा अप्रार्थी को आदेश दिया जावे कि वो मुताबिक आदेश शुद्धि का म्यूटेशन स्वीकृत कर उसका नोट वर्तमान जमाबन्दी में अंकित किया जावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया गया, अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी सरकारी पैरोकार उपस्थित हुए। जिन्होने अपना जवाब पेश किया, जिसे शामिल मिसल कराया गया जो जवाब इस आधार का पेश किया कि राजस्व ग्राम बिलाड़ा चक नं. 4 के खसरा नम्बर 2585 रकबा 1.1731 हैक्टेयर जो खातेदार मलाराम पुत्र बीजाराम जाति कुम्हार के नाम दर्ज है। जरिये नामान्तकरण संख्या 4973 दिनांक 18.06.1996 के द्वारा सोहनलाल पुत्र ढगलाराम कौम पटेल के पक्ष में खसरा नम्बर 2585 रकबा 02 बिस्वा 10 बिस्वांशी का बैचान रजिस्ट्री होने से जमाबन्दी संवत् 2052 से 2055 खाता संख्या 1285 में अमल दरामद हुआ। राजस्व अपील अधिकारी जोधपुर में वाद संख्या 42/2017 में सीतादेवी बनाम मलाराम में स्थगन आदेश पारित है। जमाबन्दी चौसाला 2052 से 2055 के खाता संख्या 1285 में सोहनलाल पुत्र ढगलाराम के नाम राजस्व रेकर्ड में खसरा नम्बर 2585 रकबा 2 बिस्वा 10 बिस्वांशी का अंकन होना पाया। वर्तमान जमाबन्दी में सेवन से उक्त इन्द्राज होना छूट गया। अन्त में जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी द्वारा अपनी खरीदसुदा भूमि खसरा नम्बर 2585 रकबा 02 बिस्वा 10 बिस्वांशी का वर्तमान जमाबन्दी में इन्द्राज दुरूस्त किये जाने की इस्तदुआ है।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी, प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया ओर प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रेकर्ड दुरूस्ती का निवेदन किया। अप्रार्थी सरकारी पैरोकार ने जवाब के तथ्यो को दोहराया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्राथी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज रजिस्टर्ड बैचाननामा दिनांक 27.01.1994 के अनुसार प्रार्थी ने खसरा नम्बर 2585 रकबा 7 बीघा 5 बिस्वा (यानि 1.1731 हैक्टेयर) भूमि के खातेदार मलाराम से 2 बिस्वा 10 बिस्वांशी भूमि खरीद की, जिसके आधार पर म्यूटेशन संख्या 4973 स्वीकृत किया गया तथा प्रार्थी की खरीदसुदा भूमि का इन्द्राज जमाबन्दी संवत् 2052 से 2055 में किया गया तथा उसके बाद की जमाबन्दी संवत् 2068 से 2071 व वर्तमान जमाबन्दी संवत् 2076 से 2079 में हल्का पटवारी द्वारा खतौनी के समय लिपिकीय गलती से इन्द्राज नही किया गया। अप्रार्थी द्वारा

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

प्रस्तुत जवाब में भी उपरोक्त लिपिकीय त्रुटी को दुरूस्त करने की अनुशंषा की है तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के पद संख्या 3 में दिये गये राजस्व अपील अधिकारी जोधपुर द्वारा अपील संख्या 133/2019 के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त लिपिकीय शुद्धि से उक्त अपील में पारित निर्णय पर कोई प्रतिकुल प्रभाव नही पड़ेगा। इसलिए उपरोक्त लिपिकीय त्रुटी को दुरूस्त किया जाना उचित है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी को आदेश दिया जाता है कि राजस्व ग्राम बिलाड़ा चक नम्बर 4, तहसील बिलाड़ा में स्थित भूमि खसरा संख्या 2585 रकबा 1.1731 हैक्टेयर में से प्रार्थी की खरीदसुदा भूमि रकबा 02 बिस्वा 10 बिस्वांशी का इन्द्राज जमाबन्दी संवत् 2052 से 2055 के अनुसार वर्तमान जमाबन्दी संवत् 2076 से 2079 में शुद्ध किये जाने का आदेश पारित किया जाता है तथा अप्रार्थी को आदेश दिया जाता है कि वो मुताबिक आदेश शुद्धि का म्यूटेशन स्वीकृत कर उसका नोट वर्तमान जमाबन्दी में अंकित करे। पत्रावली फैसललशुमार होकर नम्बर से कम हो।

(सोहन लाल)
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

आदेश आज दिनांक 16.03.2022 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(सोहन लाल)
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा